भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 142

दिनांक 02.02.2021/13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

फोन टैपिंग संबंधी सूचना का खुलासा

142. श्री मनीश तिवारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने फोन-टैपिंग और किसी की बातचीत बीच में सुनने संबंधी प्रश्नों पर आरटीआई अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी देने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मंत्रालय ने विभिन्न आरटीआई प्रश्नों के अन्तर्गत पहले भी यह सूचना दी थी, जैसा कि वर्ष 2013 में किया गया था, यह सूचना देने से मना करने के क्या कारण दिए गए हैं; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय को प्राप्त कुल आरटीआई-आवेदनों में से अस्वीकृत आवेदनों का प्रतिशत कितना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): प्राधिकृत विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विधि सम्मत इंटरसेप्शन और मॉनीटरिंग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ दोस्ताना संबंधों अथवा लोक व्यवस्था अथवा किसी अपराध को अंजाम देने हेतु उकसावे को रोकने आदि के लिए "इंडियन टेलीग्राफ रूल्स, 1951" के नियम 419-अ के साथ पठित "इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885" की धारा 5(2) के अनुसार की जाती है। "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा 8(क) के अनुसार, ऐसी सूचना का खुलासा करने से छूट है, जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा और विदेशी राष्ट्रों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है अथवा किसी अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा सकती है। इसके अलावा, इंटरसेप्शन संबंधी जानकारी का खुलासा करने से "विधि सम्मत इंटरसेप्शन" के वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाते हैं। सूचना का अधिकार संबंधी प्राप्त सभी आवेदनों का उत्तर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है।

*****